(बोर्ड के आदेश सं0 4116 ...)

मुख्य–पृष्ठ और पत्रावरण

(देखें नियम 127 अभिलेख हस्तक 1911)

S.D.O Dumka. विभाग

निर्मला देवी
सा0 - कसवा
सरैयाहाट
बनाम
शालीग्राम मंडल वगै0

(पहला पन्ना)

06/17-18

वर्ष 2012-13 रजिस्टर न0 ....

इस्टेट .... परगना .... तौजी सं0 ....

अर्जीकार प्रतिपक्षी

.... सं0 .... वर्ष .... के अधीन

अधिनियम ....

निर्णय की तारीख .... अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख ....

क्र0 स0	कागज का वर्णन	किस तारीख को फाइल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	आदेशफलक	1-3	3		11/4/16	13/5/2013
2	मूल आवेदन	4-11	8	5=00	26/5/16	17/6/2013
3	नोटिस	12-12	1		11/7/16	3/8/13
4	प्रतिवेदन	13-15	3		17.8.16	25/11/2013
5	कागजात	16-22	7		3.10.16	30/12/13
6	तामिला	23-23	1		21.11.16	23/6/14
7	वकालतनामा	24-24	1	5=00	26.12.16	4/8/14
8	हाजरी	25-34	10		9.2.17	22/9/14
					20.3.17	7/11/14
	कुल पृष्ठ सं0	34	34	10=00		15/12
						27/3/15

(8)

न्यायालय भूमि सूधार उपसमाहर्ता,दुमका

आर0एम0 वाद सं0–535 / 2012–13
(नामान्तरण अपील वाद सं0–06 / 17–18)
निर्मला देवी, सा0–कसवा, अंचल–सरैयाहाट
वनाम
शालीग्राम मंडल, वगै0, ग्राम–विशनपुर, अंचल–रामगढ़

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
6/2/19	**आदेश** प्रस्तुत आर एम0 वाद सं0–535 / 12–13 निर्मला देवी वो कंकई देवी पति – स्व0 चुन्नी लाल मंडल वगै0, ग्राम – कसवा, थाना – हँसडीहा, अंचल – सरैयाहाट, जिला – दुमका द्वारा अंचलाधिकारी, सरैयाहाट के नामान्तरण वाद सं0–406 / 12–13 में दिनांक–11.07.12 को मौजा–कसवा, थाना सं0–45, जमाबंदी सं0–14, दाग सं0–82, रकवा–0.23 डि0 जमीन को शालीग्राम मंडल एवं अन्य के नाम किये जाने के विरुद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा अपने आवेदन में वंशावली को दर्शाते हुए गेंजर सेटलमेंट मौजा–कसवा, थाना सं0–45, अंचल–सरैयाहाट के जमाबंदी सं0–14 के खतियानी रैयत वंशी मंडल के वंशज की पत्नी है जो वंशाबली से स्पष्ट होता है। अपीलकर्ता का कहना है कि खतियानी रैयत के दखल में मौजा–कसवा, विशनपुर एवं बागमारी का भूमि उनके मृत्यु तक था। खतियानी रैयत के मृत्यु के पश्चात अपीलकर्ता एवं विपक्षी उस भूमि के वैद्य उत्तराधिकारी हो गए एवं उक्त भूमि पर उनलोगों का दखल हुआ। विभिन्न मौजा में जमीन रहने के कारण दोनों पक्षों को कृषि कार्य में समस्या उत्पन्न होने लगी। इसलिए उनके पूर्वजों के द्वारा पारिवारिक व्यवस्था के तहत् अपनी सुविधानुसार तीनों मौजा के भूमि को बाँट लिया गया। इस प्रकार मौजा–कसवा, जमाबंदी सं0–14 के भूमि अपीलकर्ता के हिस्से में आया एवं मौजा–विशनपुर का भूमि विपक्षी शालीग्राम मंडल, पिता–स्व0 केलु मंडल, वो देवेन्द्र मंडल, लक्ष्मण मंडल, पिता–स्व0 श्याम मंडल के हिस्से में आया तथा बागमारी मौजा का भूमि गली मंडल के हिस्से में आया। सभी हिस्सेदार का अपना–अपना जमीन पर पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार दखल है। अपीलकर्ता अपना घर बनाकर मौजा–कसबा में स्थायी रुप से रह रही है। जबकि विपक्षी मौजा–विशनपुर में अपना घर बनाकर रह रहा है एवं मतदाता सूची में उसका नाम भी दर्ज है।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	विपक्षी लालच में आकर गलत तरीके से बिना किसी दस्तावेज के अंचलाधिकारी, सरैयाहाट को अंधकार में रखते हुए मौजा–कसवा, थाना सं0–45, जमाबंदी सं0–14 के कुल भूमि 02 बीघा–02 कट्ठा–11धूर में से 0.23 डि0 जमीन को अपने नाम से नामान्तरण करा लिया। आवेदिका का यह भी कहना है कि अंचलाधिकारी, सरैयाहाट के द्वारा बिना जाँच किए कर्मचारी एवं अमीन के झूठे प्रतिवेदन जिसपर तिथि भी अंकित नहीं है के आधार पर मौजा–कसवा, थाना सं0–45 के जमाबंदी सं0–14, दाग सं0–82, रकवा–0.23 डि0 का नामान्तरण दिनांक–11.07.12 को आदेश पारित कर दिया गया। आवेदिका खतियानी रैयत के वंशज स्व0 चुनीलाल मंडल की पत्नी है। उसके विधवा गरीबी, असहाय होने का फायदा उठाते हुए विपक्षी के द्वारा नामान्तरण कराया गया है जबकि इस संबंध में विधिवत् कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया और न ही आवेदिका को कोई सूचना दी गई। इसप्रकार आवेदिका द्वारा अंचलाधिकारी, सरैयाहाट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इस वाद में अंचल अधिकारी के पत्रांक–676/रा0, दिनांक–04.11.13 के अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–कसवा, जाकर ग्राम प्रधान एवं उपस्थित स्थानीय लोगों के समक्ष उपरोक्त विषय का स्थलीय जॉच किया। स्थलीय जाँच के दौरान उपस्थित स्थानीय लोगों से पूछताछ तथा अन्य आवश्यक कागजातों के अवलोकन के बाद पाया कि आवेदिका निर्मला देवी वो कंकई देवी दोनों के पति स्व0 चुनीलाल मंडल निवास–कसवा, द्वारा आवेदित मौजा–कसवा नं0–45, खाता सं0–14, खेसरा सं0–82, रकवा–02–02–11 (दो बीघा दो कट्ठा ग्यारह धूर) किस्म–धानी औवल का जमीन गेंजर सर्वे खतियान के दखल क्यारी कॉलम में खतियानी रैयत वंशी मंडल बल्द बुलाकी मंडल के नाम से दर्ज है। गेंजर पर्चा, ग्राम प्रधान द्वारा मौजा के वंशाबली पंजी में दर्ज उक्त खाता के वंशाबली के आधार पर आवेदिकागण निर्मला देवी वो कंकई देवी पति–स्व0 चुनी उर्फ चुनीलाल मंडल, निवास–कसवा, खतियानी रैयत वंशी मंडल की पौत्रवधु लगती है। स्थानीय जाँच के दौरान इनके द्वारा बताया गया कि खतियानी रैयत वंशी

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
2	3
मंडल के नाम से मौजा–कसवा, थाना–हँसडीहा, मौजा–विशनपुर, अंचल–रामगढ़ एवं मौजा–बागमारी तीनों मौजा में जमाबंदी जमीन है। पारिवारिक व्यवस्था के तहत् इसे मौजा–कसवा का जमीन प्राप्त हुआ है। जबकि मौजा–विशनपुर का जमीन, खतियानी रैयत वंशी मंडल के पोता–शालीग्राम मंडल वो स्व0 श्याम मंडल, वो–विनोद मंडल, पिता–स्व0 केलू मंडल को प्राप्त हुआ है। खतियानी रैयत के पोता वो विनोद मंडल जीवित है। जबकि श्याम मंडल मृत है। उनके दो पुत्र देवेन्द्र मंडल वो लक्ष्मण मंडल जीवित है। इस प्रकार खतियानी रैयत वंशी मंडल के परपोता नागेश्वर मंडल वो दिनेश्वर मंडल, पिता–स्व0 गुली मंडल को मौजा–बागमारी का जमीन पारिवारिक बँटवारा के तहत् प्राप्त हुआ है। फिर भी विपक्षी शालीग्राम मंडल, पिता–स्व0 कैलू मंडल वो देवेन्द्र मंडल वो लक्ष्मण मंडल, पिता–स्व0 श्याम मंडल द्वारा गलत ढंग से मौजा–कसवा, नं0–45, खाता सं0–14, खेसरा नं0–82 के आंशिक रकवा–0.23 डि0 जमीन का नामान्तरण करा लिया गया है। स्थलीय जाँच के दौरान ही विपक्षी शालीग्राम मंडल, पिता–स्व0 कैलू मंडल वो देवेन्द्र मंडल वो लक्ष्मण मंडल पिता–स्व0 श्याम मंडल द्वारा बताया गया कि मौजा–कसवा नं0–45, खाता सं0–14, खेसरा नं0–82, रकवा–02–02–11(दो बीघा दो कट्ठा ग्यारह धूर) किस्म–धानी औवल का जमीन गेंजर खतियानी रैयत वंशी मंडल वल्द बुलाकी मंडल के नाम से दर्ज है। हम सभी खतियानी रैयत के वारिसान है एवं वंशाबली के आधार पर एवं मौखिक पारिवारिक बँटवारा के तहत् हमें 0.23 डि0 जमीन प्राप्त हुआ है जो हमारे हिस्से में पड़ता है। स्थानीय जाँच के दौरान ही ग्राम प्रधान स्थानीय लोगों से पूछताछ एवं अन्य आवश्यक कागजातों के अवलोकन के बाद पाया कि मौजा–कसवा नं0–45, खाता सं0–14, खेसरा नं0–82 के अन्तर्गत कुल रकवा का आंशिक रकवा–0.23 (तेईस डिसमिल) जमीन विपक्षी शालीग्राम मंडल, पिता–स्व0 कैलू मंडल वो देवेन्द्र मंडल, वो लक्ष्मण मंडल, पिता–स्व0 श्याम मंडल के नाम से	

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	अंचल कार्यालय, सरैयाहाट के नामान्तरण वाद सं0–406/12–13, ज्ञापांक–516/रा0, दिनांक–20.09.12 द्वारा नामान्तरण हुआ है। अंचलाधिकारी, सरैयाहाट के पत्रांक–676/रा0, दिनांक–04.11.13 द्वारा उक्त नामान्तरण वाद सं0–406/12–13 को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध लेख्यात्मक साक्ष्यों का अवलोकन किया। विपक्षी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वाद की कार्रवाई में विपक्षी का किसी भी प्रकार की कोई अभिरुची नहीं है। अंचलाधिकारी, सरैयाहाट द्वारा बिना किसी ठोस आधार के एक पक्ष में निर्णय लेकर नामान्तरण करना युक्तिसंगत नहीं है। अतएव उपरोक्त विवेचना एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों से प्रमाणित होता है कि अंचलाधिकारी सरैयाहाट द्वारा नामान्तरण वाद सं0 406/12–13 में पारित आदेश न्याय संगत नही है। अतः अंचलाधिकारी सरैयाहाट के नामान्तरण वाद सं0 406/12–13 में पारित आदेश को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।	

ज्ञापांक 2(भू0)/अनु0रा0, दुमका दिनांक 6/2/19

प्रतिलिपिः–अंचल अधिकारी, सरैयाहाट को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।

Digitally signed by ABDUS SAMAD
Date: 2024.07.27 17.01.30 +05:30
Location: 192.168.29.122